न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–58/2023
GCMS No.- 2023/66

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अब्दुल रहमान पुत्र गनीखां जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम शेरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर, उचित मूल्य दुकानदार शेरानी आबादी तहसील डीडवाना जिला नागौर, राज० मो. नं. 9828867619(प्राधिकार पत्र संख्या 1400 दिनांक 16.04.2018)		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां।

निर्णय **दिनांक–01.08.2023**

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 98/2022 राजस्थान सरकार बनाम अब्दुल रहमान में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.01.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के नाम शेरानी आबाद में उचित मूल्य दुकान का विधिवत प्राधिकार पत्र संख्या 1400 दिनांक 16.04.2018 को जारी किया हुआ रहा था और अपीलांट नियमानुसार सभी शर्तो की पालना करते हुऐ पूर्ण ईमानदारी से उक्त कार्य करता रहा है इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्ध कुछ उपभौक्ता ने आनन फानन में लोगो के उकसाने पर अपीलांट को झुठा बदनाम करने व बेरोजगार करने के दुराशय से झुठी शिकायत करके जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां विभागीय प्रकरण संख्या 98/2022 दर्ज करवाया, जिसके तहत अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र संख्या 1400 को अपीलांट से जवाब आदि लेकर संतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2022 को विभागीय प्रकरण लम्बित रहते बहाल किया था लेकिन बाद में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 24.1.2023 के निर्णय द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है जिस त्रुटि पूर्वक निर्णय से व्यथित होकर उसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है उससे संबंधित निर्णय में रसद अधिकारी नागौर में यह दर्ज किया है कि, विभागीय प्रकरण संख्या 98/2022 के अन्तर्गत अप्रार्थी / डीलर के विरूद्ध शिकायत की जांच हेतु दिनांक 15.10.2022 को जिला रसद अधिकारी व श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर जाकर जांच की जांच में 5 किलोग्राम गेहू कम दिया जाना पाया गया, दुकान के बार मूल्य व स्टॉक सूची, बोर्ड व आवश्यक सुचनाओ का बोर्ड प्रदर्शन नहीं पाया गया, डिलर द्वारा नक्शा व प्राधिकार पत्र पेश नहीं किया गया, उपभौक्ता असगरखां पुत्र अकबरखां राशन कार्ड नं. 008258201683 का पोश मशीन में अंगुठा लगवा कर गेहू का ट्रांजेक्शन कर दिया भौतिक रूप से गेहूँ नहीं दिये, राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज परिवाद संख्या 102203013948044 मनीरदीन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

निवासीशेरानी आबाद को 50 किलोग्राम का ट्रांजेक्शन किया मगर भौतिक रूप से 45 किलो ही गेहूँ दिया, सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 102203014008954 पीरमोहम्मद द्वारा बताया कि डीलर द्वारा दुकान समय पर दुकान नहीं खोली जाती है अक्टूबर 2022 का गेहूँ उसे नहीं दिया है जिस पर अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 21.10.2022 को निलम्बित कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2022 को जारी किया गया ।

अप्रार्थी / अपीलांट ने दिनांक 21.10.2022 को जारी नोटिस का जवाब दिनांक 21.11.2022 को पेश कर निवेदन किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आवंटन कम होने के कारण गेहूँ 5 किलो कम हो गया था व विभागीय नियमानुसार ही वितरण किया था, गेहूँ कम होने के कारण कथित शिकायत हुई है दुकान के आगे लगे बोर्ड पर सूचना अंकित की हुई थी लेकिन भीड़भाड़ के कारण सूचनाऐ मिट गयी थी जो बाद में सही कर दी गयी थी, नक्शा को चुहो द्वारा दुकान में काटे जाने के कारण घर पर ही सुरक्षित रखा हुआ था जिसको जवाब के साथ पेश कर दिया था, उपभौक्ता असगर खां को कथित गेहूँ वितरण कर दिया गया है तथा उसके भी हस्ताक्षर करवा लिये गये थे जो भी पेश किया गया, पोर्टल पर शिकायत संख्या 102203013948044 मनीरदीन ने जो कम आवंटन की शिकायत की थी जिसे 50 किलो गेहूँ दिये थे जिससे भी पूछताछ कर सकते है सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 102203014008954 पीर मोहम्मद के संबंध में निवेदन है कि मुझ डिलर रोजाना दुकान खोलता रहा हूँ और रिकॉर्ड में पोश मशीन ऑन लाईन है जिसमें पुरी गतिविधियां देख सकते है भीड़भाड़ के कारण नम्बर नहीं आने के कारण शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको बाद में नियमानुसार आवंटित गेहूँ दे दिया था। तत्पश्चात अपीलांट डीलर के जवाब पर अनावश्यक संदेह करते हुऐ व आरोप प्रमाणित न होते हुऐ भी राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ राशन डीलर अब्दुल रहमान उचित मूल्य दुकानदार शेरानी आबाद तहसील डीडवाना को जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर अप्रार्थी डीलर की जमा प्रतिभूति राशि रूपये 1000 रू. जब्त बहक सरकार करने का आदेश/निर्णय दिनांक 24.1.2023 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :–

2(1)– अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर को अपीलांट के विरूद्ध शिकायत के संबंध में संतोष जनक जवाब दे दिये जाने व शिकायत करने वाले व्यक्ति स्वयं लिखित में यह दे दिया गया कि वे लोग डिलर के काम से संतुष्ट है किसी प्रकार की शिकायत नहीं है इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धांतो को नजर अन्दाज करते हुऐ व बिना किसी युक्तियुक्त कारण के व बिना कोई गंभीर आरोप होते हुऐ भी ऐसी सरसरी शिकायत जिसको बाद में शिकायतकर्ता स्वयं ने विड्रो कर ली थी फिर भी उसकी आड़ में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दर्ज कर अपराध प्रमाणित न होते हुऐ भी ऐसा कठोर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है जिससे आदेश/निर्णय विधि सम्मत निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण अपास्त / निरस्त/ संशोधित किये जाने योग्य है।

2(2)– अपीलांट के विरूद्ध उक्त विभागीय प्रकरण जिसकी शिकायत पर दर्ज किया गया, उन शिकायत कर्ताओ ने स्वयं ने बाद में जिला रसद अधिकारी के समक्ष यह प्रकट कर दिया कि उन्होने जल्दबाजी में शिकायत की थी तथा यह लिखित में दिया कि उपभौक्ता पखवाड़े में गेहूँ दे दिया गया है डिलर के काम से हम संतुष्ट है शिकायत का निस्तारण करने का कष्ट करे। इस प्रकार शिकायतकर्ता पीर मोहम्मद, मनीरदीन, असगर खां ने लिखित में अपने बयान पेश कर दिये व किसी प्रकार की शिकायत अपीलांट के विरूद्ध नहीं रही थी तथा जल्दबाजी में आवेश में आकर शिकायत हुई थी, ऐसी स्थिति में जब डिलर के विरूद्ध कोई शिकायत ही नहीं रही तथा इन व्यक्तियो के अलावा आज तक किसी भी ग्रामीण, उपभौक्ता की कोई शिकायत ही नहीं थी और इन शिकायतकर्ताओ ने भी बाद में शिकायत विड्रो कर ली थी अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार के बयान जांच अधिकारी को नहीं दिये गये थे तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित ही नहीं हुऐ है इसके बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का कठोरतम आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है प्रकरण हाजा की परिस्थितियां अन्य प्रकरणो से बिल्कुल भिन्न है क्योकि अपीलांट के विरूद्ध

कलक्टर नागौर

किसी भी प्रकार की कोई गंभीर अनियमितता या कालाबाजारी का आरोप नहीं है व छोटी बड़ी नाराजगी से शिकायत हुई उसे भी विड़ो कर ली गयी व उनको उनके हिसाब से गेहूँ आदि मिल गये थे ऐसी स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने जैसा मामला कतई नहीं है इसके बावजूद नर्मी का रूख अख्तियार नहीं करके कठोरतम निर्णय पारित करना कतई विधि सम्मत नहीं है सामान्य न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से आदेश / निर्णय जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है तथा आदेश जैर अपील अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

2(3)– जहां तक ऑन लाईन गेहूँ देने का इन्द्राज है मगर भौतिक रूप से कम दिये जाने का जो अवलम्ब लिया है न ऐसी शिकायत रही है नही ऐसा संभव है न ही माने जाने योग्य है ऐसे तो कोई भी आक्षेप लगा सकता है कि गेहूँ उसे कम मिले है जबकि पोश मशीन ऑन लाईन रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार व नियमानुसार सामग्री का वितरण किया जाता है अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई गंभीर अनियमितता की शिकायत कभी नहीं रही व जांच रिपोर्ट में भी कोई गंभीर आरोप नहीं पाये गये है दो तीन लोगो ने 5–5 किलो गेहूँ कम देने की जल्दबाजी में बिना सोचे समझे शिकायत कर दी थी जिससे किसी डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है उसके संबंध में पुरी जांच की जानी चाहिए थी व शिकायतकर्ता को कितने गेहूँ मिलते है कितनी दिये गये व उनके बयान लेकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी, जबकि शिकायतकर्ता जो कि आनन फानन में आवेश में आकर जल्दबाजी में शिकायतकी थी व भीड़ भाड़ के कारण कुछ लोग नाराज हो भी जाते है क्योकि आजकल सारा कार्य ऑन लाईन चलता है जिसमें समय भी लगता है तो ऐसी नाराजगी के कारण की जाने वाली शिकायत को इतनी गंभीरता से लेकर किसी निर्दोष डिलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना कतई उचित व न्याय संगत नहीं है।

2(4)– जहां तक बोर्ड पर सूचनाओ के प्रदर्शन का प्रश्न है सूचनाऐ नियमानुसार प्रदर्शित की जाती रही है किसी भी ग्रामीण की पूर्व में कोई शिकायत नहीं रही थी व राशन की दुकान पर एक साथ ग्रामीण आते है जिनके साथ बच्चे वगैरा भी आते है जो शरारत करते हुऐ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर डीलर के व्यस्त रहने के दौरान कुछ सूचनाऐ मिटा भी देते है तो उसका दोष डीलर पर लगा कर ऐसा कठोर निर्णय पारित करना कतई उचित नहीं है इस संबंध में आवश्यक सख्त निर्देश दिये जाकर डीलर को पाबंद किया जा सकता है जबकि डीलर स्वयं ने इस संबंध में निवेदन किया कि भविष्य में इस बाबत पुरी सावधानी बरती जायेगी इसके बावजूद विद्वान जिला रसद अधिकारी ने इस जल्दबाजी में बिना आरोप प्रमाणित हुऐ कठोर आदेश पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

2(5)– जहां तक नक्शा का प्रश्न है उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री वितरण के समय कुछ सामग्री ग्राहको द्वारा लेते समय गिरा दी जाती है जिससे चुहे दुकान में आने लग जाते है व दस्तावेजात को कुतर देते है इस कारण सावधानी बरतते हुऐ नक्शा व प्राधिकार पत्र जैसे आवश्यक असल दस्तावेज संभाल कर पास में ही घर में रखने से कोई अनियमितता नहीं होती है बल्कि सावधानी की श्रेणी में आता है जो नक्शा वगैरा बाद में पेश भी कर दिया था, इसके बावजूद इन परिस्थितियो का भी गलत अर्थ निकाल कर जिला रसद अधिकारी ने ऐसा कठोर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

2(6)– अपीलांट को जारी कारण बताओ नोटिस का खुलासा व संतोषप्रद जवाब अपीलांट ने पेश कर दिया था तथा प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 20.12.2022 को प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल भी कर दिया था, तत्पश्चात ऐसी कोई परिस्थितियां जिला रसद अधिकारी के समक्ष नहीं आई कि अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार से अनियमितता साबित होती हो, इसके बावजूद पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर ही प्राधिकार पत्र को पुनः निरस्त करने का आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित किया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

2(7)– राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम (वितरण का विनियम) 1976 के तहत प्रथम तो अगर कोई उचित मूल्य दुकानदार कार्य करते समय से सहवन से अगर कोई भूल चूक रह जाती है तो उसके अनुसार जो भी कमी पाई जाती है उसकी पूर्ति पुनः करवाई जा सकती है लेकिन इस तरह से बिना आरोप प्रमाणित हुऐ प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार

कलक्टर नागौर

नहीं है मगर उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुऐ व बिना विधिवत सुने व बिना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रहने के बावजूद प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया, जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2(8)– अपीलांट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री वितरण करने व किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतने व किसी भी उपभोक्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं करने व राशन सामग्री से किसी को भी वंचित नहीं रखने आदि के संबंध में गांव के निष्पक्ष स्वतंत्र गवाहान ने भी कथन किये थे व शिकायतकर्ता स्वयं ने लिखित में दे दिया कि वे लोग संतुष्ट है कोई शिकायत नहीं है इसके बावजूद जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुऐ भी इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यो, विधिक प्रावधानो को नजर अन्दाज करते हुऐ विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं क्योकि जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए गलत तौर पर निर्णय पारित किया। जिससे निर्णय जैर अपील पारदर्शिता पूर्ण नहीं होने व सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है और इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू के मद्य नजर निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(9)– रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजर अंदाज करते हुऐ आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

2(10)– अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

2(11)– डिलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी नही पूर्व की कोई शिकायत डीलर के विरूद्व रही थी। ग्राम पंचायत के किसी भी उपभौक्ता द्वारा मुझ डिलर के विरूद्व कभी कोई अंसतोष नहीं जताया न कोई शिकायत की गयी थी, इसके बावजूद डिलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डिलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है अपीलांट के अन्य कोई काम धंधा नहीं है वह बेरोजगार हो गया है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा डिलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है ऐसी स्थिति में इस तरह का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है।

2(12)– उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि डीलर निर्दोष है उसके विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। उक्त प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद में डीलर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी स्वतंत्र उपभौक्ता या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि डीलर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनो की पालना करते हुऐ विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं था, डीलर के द्वारा उचित मूल्य दूकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, फिर भी कोई शिकायत थी तो डीलर / अपीलांट से शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुऐ भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

2(13)– उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यों द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की

कलक्टर नागौर

अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानों को मध्य नजर रखते हुऐ उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार के विरूद्ध नहीं है न ही जांच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान हीं लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है इतना ही नहीं कथित शिकायत कर्ताओ ने भी बाद में यह लिखित में दे दिया कि उनको कोई शिकायत नहीं है इसके बावजूद पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफा कार्यवाही कर डीलर को दोषी बताकर निर्णय पारित करवाया है जो विधि सम्मत नहीं है।

2(14)– अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है अन्दर मियाद पेश है।

2(15)– अन्य बिन्दु बहस के समय निवेदन किये जायेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 98/2022 राजस्थान सरकार बनाम अब्दुल रहमान में पारित आदेश/ निर्णय जैर अपील दिनांक 24.1.2023 को अपास्त /संशोधित / निरस्त किया जावे व अपीलांट के नाम से जारी हस्तगत प्राधिकार पत्र संख्या 1400 को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावे अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान करावे ।

3– रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक रसद,नागौर ने अपनी बहस में यह कथन किया उपभोक्ताओं द्वारा दुरभाष पर श्री अब्दुल रहमान उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर जॉच हेतु दिनांक 15.10.2022 को जिला रसद अधिकारी व श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर जाकर जॉच करने पर यह पाया कि मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं में श्री प्यार मोहम्मद पुत्र श्री बिलाल खां ,श्री जमीन खां पुत्र चांद मोहमम्द से पूछताछ में उनके 5 किलोग्राम गेहूँ कम देना बताया । उपभोक्ता श्री असगर खां पुत्र श्री अकबर खां ने बताया कि डीलर ने पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेहूँ का ट्रांजेक्शन किया लेकिन भौतिक रूप से गेहूँ नहीं दिये हैं। उपभोक्ता समीना बानो ने डीलर द्वारा 5 कि0ग्रा. गेहूँ कम देना बताया हैं। इसी प्रकार श्री लाल मोहम्मद जो कि एफपीएस 22303 का रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जिसने माह अक्टूबर 2022 के गेहूँ एफपीएस 22304 से ले लिये हैं जो दिनांक 14.10.2022 को लिया जबकि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन दिनांक 05.10.2022 को किया गया था। उक्त मौका जॉच की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.10.2022 की बनाई गई है,जो संलग्न पत्रावली हैं। उक्त मौका जॉच से स्पष्ट हैं कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ वितरण में भारी अनियमितता की हैं।

बहस के दौरान यह भी कथन किया कि राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज परिवाद द्वारा श्री मनीरदीन के अनुसार राशनकार्ड पर डीलर द्वारा 50 किलोग्राम का ट्रांजेकक्शन किया किन्तु भौतिक रूप से 45 किलोग्राम गेहूँ ही दिया गया। इसी प्रकार परिवादी श्री पीर मोहम्मद ने परिवाद में बताया कि डीलर द्वारा दुकान केवल माह में तीन दिन ही खोली जाती हैं एवं समय पर राशन सामग्री वितरण नहीं करता हैं तथा परिवादी को डीलर द्वारा माह अक्टूबर 2022 का गेहूँ नहीं दिया गया हैं। मौका जांच के दौरान डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड एवं आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया एवं वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा दुकान का नक्शा व प्राधिकार पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा नियमों की भारी अवहेलना की हैं।

बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट ने नोटिस के जबाब में यह स्वीकार किया हैं कि पीएमजीकेएवाई का आवंटन कम होने के कारण 5 किलोग्राम कम हो गया था और विभागीय नियामनुसार ही वितरण किया गया हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि उसके द्वारा प्रति राशनकार्ड 5 किलोग्राम गेहूँ कम दिया जा रहा था। जबकि विभाग द्वारा गेहूँ कम वितरण के कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। डीलर द्वारा मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया हुआ था। प्रकरण में बाद जॉच यह पाया गया कि डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन करने से इस डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को भविष्य में राशन सामग्री

कलक्टर नागौर

नियमानुसार वितरण करने की संभावना नहीं होने से उनका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं,जो विधिअनुसार हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– वकील अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की बहस के जबाब में कथन किया कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई हैं। हमारे द्वारा गेहूँ का वितरण सही किया हैं एवं पोश मशीन पर ट्रांजेक्शन कर उसी समय उपभोक्ता को सामग्री वितरण की गई हैं। मौका रिपोर्ट में भी दुकान मौके पर खुली एवं वितरण किया जा रहा हैं अंकित किय हैं। जहां तक 5 किलोग्राम कम गेहूँ वितरण का प्रश्न हैं तो हमारे पनेल्टी लगाई जा सकती थी परन्तु हमारा प्राधिकार–पत्र निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं हैं। शिकायतकर्ताओं ने हमारे पक्ष में शपथ–पत्र देकर यह कथन किया हैं कि उनको डीलर से कोई शिकायत नहीं हैं। जब शिकायतकर्ता को कोई आपति नहीं हैं तथा उस शिकायत के आधार पर यह जॉच एवं निर्णय विधि विरूद्व हैं। हमारे द्वारा सूची बोर्ड तैयार करवा रखा था परन्तु पुराना होने से उसमें अक्षर दिखाई कम दे रहे थे,अब हमने नया सामग्री बोर्ड तैयार करवा लिया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि जिला रसद अधिकारी,नागौर का आदेश दिनांक 24.01.2023 निरस्त किया जाकर हमारा प्राधिकार पत्र पुनः बहान करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5– बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विभागीय कार्यवाही प्रकरण में कारण बताओं नोटिस में डीलर के विरूद्व निम्न अनियमितताऐं बरतना बताया गया जो इस प्रकार हैं :–

1. दिनांक 15.10.2022 को आपकी दुकान का निरीक्षण के दौरान आप द्वारा प्रति राशनकार्ड 5 किलोग्राम गेहूँ कम दिया जाना पाया गया।

   इस आरोप के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की मौका फर्द दिनांक 15.10.2022 पेश हैं,जिसमें अपीलांट के भी हस्ताक्षर हैं। इस मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं में श्री प्यार मोहम्मद व श्री जमील ने पूछताछ में उनके 5 किलोग्राम गेहूँ कम देना बताया हैं।

   अपीलांट ने अपने जबाब नोटिस में यह अंकित किया हैं कि प्रधानमंत्री गरीबकल्याण योजना के अन्तर्गत आवंटन कम होने के कारण गेहूँ कम होने के कारण 5 किलो कम हो गया था। गेहूँ कम होने के कारण उक्त शिकायत हुई हैं।

   इस प्रकार अपीलांट ने 5 किलोग्राम गेहूँ कम वितरण करना स्वयं ने स्वीकार किया हैं। गेहूँ कम देने के कोई विभागीय निर्देश की प्रति पेश नहीं की हैं,इसलिए इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सही प्रतीत होता हैं।

2. वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया एवं आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया।

   इस आरोप के सम्बन्ध में डीलर ने यह प्रकट किया हैं कि दुकान के आगे लगा बोर्ड पर सूचना हमने अंकित की थी लेकिन भीडभाड़ व बच्चो द्वारा छेड़छाड़ करने के कारण उक्त सूचनाऐ मिट गयी थी जो बाद में सही कर अंकन कर दी गयी हैं।

   इस आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत जबाब से यह स्वीकृत तथ्य हैं कि वक्त मौका निरीक्षण डीलर द्वारा मौका पर विभागीय निर्देशानुसार सूचनाओं का बोर्ड प्रर्दशीत नहीं किया हुआ था। इस आरोप के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा लिया गया निर्णय सही प्रतीत होता हैं।

3. आरोप के बिन्दू संख्या 3 इस प्रकार हैं कि वक्त निरीक्षण आप द्वारा नक्शा व प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया ।

   इस सम्बन्ध में आरोपी का कथन हैं कि नक्शा घर पर ही सुरक्षित रखा गया तथा जबाब के समय पेश किया हैं।

   इस प्रकार डीलर के जबाब से ही यह प्रकट हैं कि वक्त मौका निरीक्षण डीलर द्वारा अपना प्राधिकार पत्र एवं नक्शा पेश नहीं किया हैं। इसलिए इस बिन्दू पर लिया गया निर्णय भी सही प्रतीत होता हैं।

4. आरोप पत्र के बिन्दू संख्या 4 से 6 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा बाद जॉच अपना निर्णय दिया हैं,जबकि अपीलांट द्वारा इन आरोपों के खण्डन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अपीलांट का मुख्य रूप से यह कथन हैं कि गेहूँ का आवंटन कम होने से कम

कलक्टर नागौर

गेहूँ वितरण किये गये हैं तथा बाद में उपभोक्ताओं को गेहूँ की आपूर्ति पूरी कर दी गई है तथा इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को लिखित में दिये आवेदन पेश किये हैं। इन लिखित में शिकायतकर्ता द्वारा यह कही अंकन नहीं हैं कि इनको आवंटित सामग्री का पूर्ण वितरण किया गया था,उन्होंने यह जरूर अंकित किया हैं कि राशन डीलर द्वारा मुझे गेहूँ उक्त पखवाड़े का दे दिया गया,उनके काम से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार की लिखित से पूर्व में की गई अनियमितता को विलोपित नहीं किया जा सकता हैं। इन आरोपों के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा लिया गया निर्णय सही प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी,नागौर के उक्त प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 24.01.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 यथावत रखा जाता हैं। अधिनस्थ कार्यालय का रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
कलक्टर नागौर

आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
नागौर
कलक्टर नागौर